न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 123/2016

1. सुखदेवसिंह पुत्र सुखदीपसिंह जाति जटसिख आयु करीब 10 वर्ष नाबालिग जरिये माता व वलिया सुखपिन्द्रकौर पत्नि सुखदीपसिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. सुखदीपसिंह पुत्र जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी वर्तमान निवासी ताराचन्द बस्ती रामामण्ड़ी तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरियें तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम घोषणा एवम् बरबिनाए साक्ष्य हर किस्म।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री गुरजीतसिंह अधिवक्ता	वादी
2. श्री मुकेश कुमार सिंधी अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.05.2018

वादी की कुदरतवली माता द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी नाबालिग है, तथा अपनी माता की परवरिश तथा पालन में रहता है, प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पूर्वज गुलजारसिंह वल्द नारायणसिंह की मृत्यु के उपरान्त जरिये इन्तकाल नम्बर 196/01.03.1994 के अपनें भाई कुलदीपसिंह के साथ वक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 79/50 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 की कुल 2.530 हैक्टर में से निस्फ हिस्सा मिला हुआ है इन्तकाल तथा जमाबन्दी की नकल शामिल है। इस प्रकार उपरोक्त अराजी जद्दी जायदाद होनें से वादी का इसमें जन्म से हक हिस्सा बनता है। अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.265 में से 1/2 हिस्सा बनता है।

प्रतिवादी संख्या 1 बुरी आदतों का शिकार है तथा गलत लोगों के प्रभाव में है तथा अपनें गलत आदतों की पूर्ति के लिये वह उपरोक्त भूमि को गलत तौर से मुन्तकिल करना चाहता है प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता को छोड़कर अन्य किसी औरत के साथ रामामण्डी में रह रहा है। तथा इसी कारण उपरोक्त आराजी को मुन्तकिल करके वादी को उसके हक हिस्सा से वंचित करना चाहता है। जबकि कानूनन वह वादी के हिस्सा की भूमि को बिना विभाजन करवाये किसी प्रकार से मुन्तकिल करनें का अधिकारी नहीं है यदि वह अपनें गलत मकसद में सफल हो गया तो वादी को ना पूरा होनें वाला नुकसान होगा अतः वादी के लिये दावा लाना आवश्यक हो गया है।

कब्जा उपरोक्त समस्त आराजी पर वादी का चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जबरन बेदखल कर आराजी को गलत तौर से मुन्तकिल करना चाहता है जबकि वादी का व उसकी माता का जीवन निर्वाह का केवलमात्र सही साधन है।

2

वादी नें प्रतिवादी संख्या 1 से बार बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त अराजी चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 79/50 मुरब्बा नम्बर 22 के 2.530 हैक्टर के निस्फ हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है को जद्दी मानकर तथा वादी का इसमें 1/2 हिस्सा होने का मानकर वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करवाये तथा बिना खाता विभाजन करवाये एवम् बिला जरूरत जायज व बिला मुफाद खानदान के किसी भूमि को रहन बैय मुन्तकिल करनें तथा वादी को बेदखल करनें से बाज व ममनु रहे मगर वह टालमटोल करते हुए दिनांक 22.06.2016 को साफ इन्कारी है। अतः यही बिनाय मुखासमत है। तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी वादी पेश का अर्ज है, कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे :—

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 79/50 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 की कुल 2.530 हैक्टर में से निस्फ हिस्सा अर्थात 1.265 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है जद्दी जायदाद होनें व वादी का जन्म से हक हिस्सा होनें से वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार व हकदार है तथा उसके नाम से 1.265 हैक्टर हिस्सा खातेदारी दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

(ख) डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त अराजी चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 79/50 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 की कुल 2.530 हैक्टर में से निस्फ हिस्सा अर्थात 1.265 हैक्टर को किसी को रहन बैय मुन्तकिल करनें वादी को जबरन बेदखल करनें से बाज व ममनु रहे।

(ग) खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये प्रतिवादी संख्या 1 को जबाब दावा हेतु अनेक अवसर दिये गये परन्तु जबाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दिनांक 20.12.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 का जबाबदावा बन्द किया गया।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद में वर्णित भूमि का विवाद वादी व प्रतिवादी के मध्य है वाद में राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, राज्य हितो को मध्यनजर रखते आदेश पारित करनें की कृपा करें।

चुँकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का जबाब बन्द होनें के कारण प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। शपथ पत्र में वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के बिन्दुओं को ही दोहराया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 79/50 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 की कुल 2.530 हैक्टर में से निस्फ हिस्सा अर्थात 1.265 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है जद्दी जायदाद होनें व वादी का जन्म से हक हिस्सा होनें से वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार व हकदार होनें से वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया है।

श्रीगंगानगर

–:: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 79/50 मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 2.530 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1.265 हैक्टर में से सुखदेवसिंह पुत्र सुखदीपसिंह जाति जटसिख नाबालिग जरिये माता व वलिया सुखपिन्द्रकौर पत्नि सुखदीपसिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को 1/2 हिस्सा अर्थात 0.633 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.05.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत 4 जैड़ के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर